संख्या HR-21/पांच-7-2014

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1)प्रमुख सचिव,
गृह, गोपन, कारागार एवं वीजा पासपोर्ट विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2)प्रमुख सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
उ0प्र0 शासन।
(3)प्रमुख सचिव,
महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4)पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0।
(5)समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।
(6)समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
(7)समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उ0प्र0।

चिकित्सा अनुभाग–7 **लखनऊ :दिनांक 5 सितम्बर, 2014**

विषयः राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पर आयोजित गोष्ठी में मानसिक रोगियों के अधिकारों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

समाज में जागरूकता की कमी के कारण कई बार मानसिक रोगियों के साथ अमानवीय व्यवहार किये जाने की घटनायें प्रकाश में आती है। यदि मानसिक रोगी का प्राथमिक स्तर पर पता लगा लिया जाय तो मानसिक रोग पूर्णतः ठीक हो सकता है और मानसिक रोगी एक सामान्य नागरिक की भांति जीवन व्यतीत कर सकता है। मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति का किसी प्रकार का सामाजिक बहिष्कार करना मानवीय दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इसी दृष्टिकोण से निर्मित 'दि मेन्टल हेल्थ एक्ट, 1987' के विधेयक का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित प्रस्तावों का कियान्वयन है:–

(1) जिन मानसिक रोगियों में स्वेच्छापूर्वक अपना इलाज कराने की पर्याप्त समझ नहीं है, उनके मनोरोग चिकित्सालय या मनोरोग नर्सिंग होम में प्रवेष को विनियमित करना एवं उपचार–अवधि में उनके अधिकारों को संरक्षित करना।

(2) ऐसे मानसिक स्वास्थ्य रोगियों से समाज को सुरक्षा प्रदान करना जिनकी उपस्थिति दूसरों के लिये खतरा या बाधा है अथवा हो सकती है।

(3) बिना पर्याप्त कारण के नागरिकों को मनोरोग चिकित्सालय या मनोरोग नर्सिंग होम में रखे जाने से बचाना।

(4) मनोरोग चिकित्सालय या मनोरोग नर्सिंग होम में दाखिल किये जाने वाले मनोरोगियों के अनुरक्षण–प्रभार के उत्तरदायित्व को विनियमित करना।

(5) अपने निजी किया–कलापों का प्रबन्ध करने में अक्षम मानसिक रोगियों के लिये संरक्षा या अभिरक्षा की सुविधा प्रदान करना।

(6) मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिये केन्द्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों की स्थापना करना।

(7) मानसिक रोगियों हेतु मनोरोग चिकित्सालय या मनोरोग नर्सिंग होम की स्थापना करने, लाइसेन्स प्रदान करने व उन्हें नियंत्रित करने के लिये राज्य सरकार की शक्तियों को विनियमित करना।

(8) कतिपय प्रकरणों में मानसिक रोगियों को राज्य सरकार के व्यय पर विधिक सहायता उपलब्ध कराना।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति करना समाज का दायित्व है। इस उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा

1996 में 'मेन्टल हेल्थ केयर लॉ' के दस मूल मंत्र अर्थात मानसिक रोगी के अधिकार घोषित किये गये है, जो निम्नवत है:—

क0 सं0	मानसिक रोगी के अधिकार	Rights of Mentally ill.
1.	व्यक्ति की गरिमा के अनुरूप मानवता व सम्मानपूर्वक व्यवहार का अधिकार	The Right to be treated humanely and with repect for the inherent dighity of the person.
2.	व्यक्तिगत स्वायत्तता का अधिकार	Right to personal liberty.
3.	शारीरिक सुरक्षा व रूपरंग का अधिकार	Right to bodily integrity and appearance.
4.	निजी व गोपनीयता का अधिकार	Right to privacy.
5.	उपयुक्त उपचार व पुनरोद्धार का अधिकार	Right to appropriate treatment and rehabilitation.
6.	क्रूरता व अवांछित पराधीनता से संरक्षण का अधिकार	Right to be protected from cruelty and involuntary servitude.
7.	सम्मान पाने का अधिकार	Right to be respected.
8.	शोषण व भेदभाव अथवा दुर्व्यवहार व अपमानित किये जाने से सुरक्षा का अधिकार	Right to protection against exploitation or discrimination and Right to protection against abuse or degrading treatment.
9.	सुधरने के उपरान्त कैदी के रूप में जीवन व्यतीत करने के बजाये सामुदायिक रूप से पारिवारिक जीवन जीने का अधिकार	Right to community and family life once improved rather than a life of incarceration.
10.	उपचार न कराने का अधिकार	Right to refuse treatment.

उपरोक्त तथ्यों की जानकारी सम्यक् रूप से न होने के कारण अधिकांश प्रकरणों में मानसिक रोगियों के साथ आमनवीय व्यवहार होना परिलक्षित होता है, जो मानसिक रोगियों के उपरोक्त अधिकारों का स्पष्ट उल्लघंन है।

2— अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानसिक रोगियों के उपर्युक्त अधिकारों का व्यापक प्रचार—प्रसार कराकर अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा मानसिक रोगियों के अधिकारों के उल्लंघन की परिस्थितियों से निपटने के लिये जनपद स्तर पर एक कार्य—योजना बनाकर कार्यवाही की जाय, ताकि उन्हें सामान्य जीवन जीने का ओर अग्रसर किया जा सके व समाज की मुख्य धारा में समायोजित किया जा सके।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

HR-21(1)

संख्या /पांच—7—2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 को अनुपालनार्थ प्रेषित।
2— सचिव, उ0प्र0 मानव अधिकार आयोग, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3— महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
4— महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5— सचिव, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण,उ0प्र0 लखनऊ।
6— गृह मानवाधिकार अनुभाग—2।
7— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय प्रसाद)
सचिव।